THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

Level -Hard

1. Under section 8 of the Evidence Act, evidence of motive or preparation becomes important when a case depends upon the –
(a) Direct evidence only
(b) Circumstantial evidence only
(c) Both direct and circumstantial evidence
(d) Neither in direct nor in circumstantial evidence

1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत हेतु या तैयारी का सबूत महत्वपूर्ण बन जाता है, जब कोई मामला निर्भर करता है -
(ए) केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य
(बी) केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य
(सी) प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों
(डी) न तो प्रत्यक्ष और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य में

2. A collateral fact may be admissible as relevant under section 11 of the Act, when the following requirement/ requirements may be fulfilled. These are-
(a)The collateral fact must itself be established by reasonably conclusive evidence.
(b) The collateral fact, when established, affords a reasonable presumption or inference as to the matter in dispute.
(c) Either (a) or (b)
(d) Both (a) and (b)

2. अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत के रूप में एक आनुषंगिक तथ्य ग्राह्य हो सकता है, जब निम्नलिखित आवश्यकता/आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है-
(ए) आनुषंगिक तथ्य स्वयं को युक्तियुक्त रूप से निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।
(बी) आनुषंगिक तथ्य, स्थापित होने पर, विवाद में मामले के रूप में एक युक्तियुक्त उपधारणा या अनुमान देता है।
(सी) या तो (ए) या (बी)
(डी) दोनों (ए) और (बी)

3. A, the landowner, filed a suit for ejectment against B, a tenant. B alleged that he was a permanent tenant at a fixed rent under an agreement with the original owner of the land, who was dead, and put in evidence the statements made by the original owner after he had transferred his interest-
(a) The statements are admissible.
(b) The statements are inadmissible.
(c) The statements are conclusive in nature.
(d) The statements create an estoppel.

3. ए, जमींदार ने, बी, एक किरायेदार के खिलाफ बेदखली के लिए एक मुकदमा दायर किया। बी ने अभिकथित किया कि वह जमीन के मूल मालिक, जो मर गया हैं, के साथ एक समझौते के तहत एक निश्चित किराए पर स्थायी किरायेदार था, और, मूल मालिक द्वारा अपना हित हस्तांतरित करने के बाद दिए गए बयान को साक्ष्य में डाल दिया-
(ए) बयान ग्राह्य हैं।
(बी) बयान अग्राह्य हैं।
(सी) बयान प्रकृति में निर्णायक हैं।

(डी) बयान एक विबंध बनाते हैं।

जो उसने स्वीकृति के विपरीत एक कथन दिया था।

4. The Admissions duly proved are admissible in evidence if –
   (a) The party making them appeared in the witness box.
   (b) The party when appearing as witness was confronted with those statements in case he made a statement contrary to those admissions.
   (c) The party making them appeared in the witness box and was confronted with those statements in case he made a statement contrary to those admissions.
   (d) Irrespective of whether the party making them appeared in the witness-box or not, and whether that party when appearing as witness was confronted with those statements in case he made a statement contrary to those admissions.

4. सम्यक रूप से साबित स्वीकृतियाँ ग्राह्य साक्ष्य हैं यदि-
   (ए) उन्हें बनाने वाली पार्टी कटघरे में पेश हुई हो ।
   (बी) गवाह के रूप में पेश होने पर उस पक्ष का सामना उन कथनों से हुआ हो जो उसने स्वीकृति के विपरीत एक कथन दिया था ।
   (सी) उन्हें बनाने वाली पार्टी कटघरे में पेश हुई हो और उस पक्ष का सामना उन कथनों से हुआ हो जो उसने स्वीकृति के विपरीत एक कथन दिया था ।
   (डी) चाहे उन्हें बनाने वाली पार्टी कटघरे में पेश हुई हो या नहीं, और या गवाह के रूप में पेश होने पर उस पक्ष का सामना उन कथनों से हुआ हो

5. An admission is distinct from the former statement of a witness which is cited to contradict him. An admission can be proved without confronting the maker with his earlier statements. There is a cardinal distinction between a party who is the author of prior statement and a witness who is examined and is sought to be discredited by the use of his prior statement.

   Select the correct statements by using the code –
   I. In the former case, an admission by a party is substantive evidence if it fulfills the requirements of section 21 of the Act.
   II. In the latter case, a prior statement is used to discredit the credibility of the witness and does not become substantive evidence.
   III. In the former case, there is no necessary requirement of the statement containing the admission having to be put to the party because it is evidence proprio vigore.
   IV. In the latter case, the court cannot be invited to disbelieve a witness on the strength of the prior contradictory statement unless it has been put to him, as required by section 145 of the Act.

V. In the former case, there is a necessary requirement of a statement containing the admission having to be put to the party because it is not evidence proprio vigore.

VI. In the latter case, the court can be invited to disbelieve a witness on the strength of the prior contradictory statement unless it has not been put to him, as required by section 145 of the Act.

(a) (I), (II), (III), (VI)
(b) (I), (II), (III), (IV)
(c) (I), (II), (IV), (V)
(d) (I), (II), (V), (VI)

5. एक स्वीकृति एक गवाह के पूर्व कथन से अलग है जिसका उल्लेख उसका खंडन करने के लिए किया गया है । कथन करने वाले व्यक्ति को उसके पूर्व कथन से सामना किए बिना एक स्वीकृति साबित की जा सकती है । एक पार्टी जो पूर्व बयान के लेखक हैं और एक गवाह जिसकी जांच की जाती है और उसके पूर्व बयान के उपयोग से कलंकित करने की मांग की जाती है के बीच एक मुख्य अंतर है ।
कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चयन कीजिए-

I. पूर्व मामले में, किसी पक्ष द्वारा स्वीकृति ठोस साक्ष्य है, यदि वह अधिनियम की धारा 21 की आवश्यकताएं पूरा करती है।

II. बाद के मामले में, गवाह की विश्वसनीयता को कलंकित करने के लिए एक पूर्व बयान का उपयोग किया जाता है और ठोस सबूत नहीं बनता है।

III. पूर्व मामले में, कथन की आवश्यक मांग नहीं है जिसमें पार्टी में स्वीकार किया जाना है क्योंकि यह साक्ष्य प्रोप्रियो ताक़त है।

IV. बाद के मामले में, अदालत को पूर्व विरोधाभासी बयान के आधार पर एक गवाह को अविश्वास करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे धारा 145 के अनुसार आवश्यक नहीं किया गया हो।

IV. पूर्व मामले में, एक बयान की आवश्यक आवश्यकता होती है जिसमें पार्टी में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सबूत नहीं है प्रोप्रियो ताक़त।

VI. बाद के मामले में, अदालत को पूर्व विरोधाभासी बयान के बल पर एक गवाह का अविश्वास करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, जब तक कि इसे उसके सामने नहीं रखा गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 145 के तहत आवश्यक है।

(ए) (I), (II), (III), (VI)
(बी) (I), (II), (III), (IV)
(सी) (I), (II), (IV), (V)
(डी) (I), (II), (V), (VI)

6. Which of the following section gives effect to the maxim 'interest reipublicae ut sit finis litium' –

(a) Section 23 of the Evidence Act
(b) Section 21 of the Evidence Act
(c) Section 165 of the Evidence Act
(d) Both sections 21 and 165 of the Evidence Act

6. निम्नलिखित में से कौन सा खंड अधिकतम 'ब्याज गणराज्य पर बैठो' को प्रभावी बनाता है-

(ए) साक्ष्य अधिनयम की धारा 23
(बी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21
(सी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 165
(डी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 और 165 दोनों

7. Match the following statements with correct provisions of the Act –

Statements:

i). Statement is made in will or deed relating to the family affairs.

ii). Statement relates to existence of relationship.

iii). Statement contained in document relating to transaction mentioned in section 13, clause (a).

iv). Statement is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question.

Provisions:

(A) Section 32(8)
(B) Section 32(7)
(C) Section 32(6)
(D) Section 32(5)

Codes:

(a) i -C, ii-D, iii-B, iv-A
(b) i-C, ii-D, iii-A, iv-B
(c) i-D, ii-C, iii-B, iv-A
(d) i-D, ii-C, iii-A, iv-B

7. निम्नलिखित कथनों को अधिनियम के सही प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए –

कथन:

i). कौटुम्बिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया कथन ।

ii). नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित कथन।

iii). धारा 13, खण्ड (क) में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया कथन ।

iv). कई व्यक्तियों द्वारा किया गया और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता कथन ।

प्रावधान:

(ए) धारा 32(8)
(बी) धारा 32(7)
(सी) धारा 32(6)
(डी) धारा 32(5)

कोड:

(ए) i-सी, ii-डी, iii-बी, iv-ए
(बी) i-सी, ii-डी, iii-ए, iv-बी
(सी) i-डी, ii-सी, iii-बी, iv-ए
(डी) i-डी, ii-सी, iii-ए, iv-बी

8. The statement of a person as to the cause of his injuries becomes a dying declaration relevant under section 32 of the Act, if he subsequently dies. But if he survives of injuries, then his statement cannot be proved under section 32 of the Act. But it may become relevant under -

(a) Section 21(1) of the Evidence Act.
(b) Section 157 of the Evidence Act.
(c) Sections 21(1) or 157 of the Evidence Act.
(d) Section 157 of the Evidence Act only and not under section 21(1) of the Evidence Act.

8. किसी व्यक्ति का अपनी चोटों के कारण के बारे में बयान अधिनियम की धारा 32 के तहत एक सुसंगत मृत्युकालीन कथन बन जाता है, यदि वह बाद में मर जाता है। लेकिन अगर वह घायल होने पर बच जाता है, उसके बयान को अधिनियम की धारा 32 के तहत साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह सुसंगत हो सकता है-

(ए) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21(1) के तहत।
(बी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत।
(सी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21(1) या 157 के तहत।
(डी) केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 21(1) के तहत नहीं।

9. Section 33 of the Evidence Act enumerates the cases in which the evidence given by witnesses either in judicial proceedings or before any person authorized by law to take it, is relevant in subsequent judicial proceedings or in latter stage of the same proceeding. Such cases/circumstances are _____ in numbers-
(a) Four
(b) Five
(c) Six
(d) Seven

9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 उन मामलों की गणना करती है- जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को, जो उस साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चात्वर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है। ऐसे मामले/परिस्थितियां संख्या में _____ हैं।
(ए) चार
(बी) पांच
(सी) छह
(डी) सात

10. In light of section 33 of the Evidence Act, the evidence given by a witness will beadmissible only –
(i) If the proceeding was between the same parties, or their representatives in interest.
(ii) If the proceeding was between the same parties and not between their representatives in interest.
(iii) If the adverse party in the first proceeding had the right to cross-examine.
(iv) If the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine.
(v) If the questions in issue were substantially same in the first as in the second proceedings.
(vi) If the questions in issue were substantially same in the second as in the first proceedings.
(vii) The question in issue need not to be substantially the same but the proceedings was between the same parties and the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine.
Select the correct statements-
(a) (ii) (iv) (v)
(b) (i) (iii) (vi)
(c) (i) (iv) (vii)
(d) (i) (iv) (v)

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य स्वीकार्य होगा-
(i) यदि कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच थी।
(ii) यदि कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों के बीच थी और उनके प्रतिनिधियों के हित में नहीं थी।
(iii) यदि प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार था।
(iv) यदि प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था।
(v) यदि विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे, जो द्वितीय कार्यवाही में हैं।

www.linkinglaws.com

(vi) यदि विवाद्य प्रश्न द्वितीय कार्यवाही में सारतः वही थे, जो प्रथम कार्यवाही में हैं।

(vii) विवाद्य प्रश्न का सारतः वही होना नहीं बल्कि कार्यवाहियों का उन्हीं पक्षकारों के बीच होना आवश्यक है और प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर होना।

सही कथनों का चयन कीजिए-

(ए) (ii) (iv) (v)

(बी) (i) (iii) (vi)

(सी) (i) (iv) (vii)

(डी) (i) (iv) (v)

11. A judgment in rem can only be impeached if it can be shown that –

(a) The court has no jurisdiction.

(b) The judgment was obtained either by fraud or collusion.

(c) It was not given on the merits, or it was not final.

(d) Either of the above

11. रेम में एक निर्णय पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब यह दिखाया जा सके कि -

(ए) अदालत का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

(बी) निर्णय या तो धोखाधड़ी या कूटसंधि से प्राप्त किया गया था।

(सी) यह गुणों के आधार पर नहीं दिया गया था, या यह अंतिम नहीं था।

(डी) उपरोक्त में से कोई भी।

12. Find out the correct answer –

(a) A previous judgment passed on a compromise is a judgment in rem within the meaning of section 41 of the Evidence Act and therefore bar to a subsequent suit.

(b) A previous judgment passed on a compromise is not a judgment in rem within the meaning of section 41 of the Evidence Act and therefore no bar to a subsequent suit.

(c) A previous judgment passed on a compromise is not a judgment in rem within the meaning of section 41 of the Evidence Act but bar to a subsequent suit.

(d) A previous judgment passed on a compromise is a judgment in rem within the meaning of section 41 of the Evidence Act but not bar to a subsequent suit.

12. सही उत्तर खोजें -

(ए) एक समझौता पर पारित एक पूर्व न्याय के भीतर रेम में एक निर्णय हैसाक्ष्य अधिनियम की धारा 41 का अर्थ और इसलिए पश्चात्वर्ती वाद के मुकदमे पर रोक।

(बी) एक समझौता पर पारित एक पूर्व न्याय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं है और इसलिए पश्चात्वर्ती वाद के लिए कोई रोक नहीं है।

(सी) एक समझौता पर पारित एक पूर्व न्याय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं है, बल्कि पश्चात्वर्ती वाद के मुकदमे के लिए वर्जित है।

(डी) एक समझौता पर पारित एक पूर्व न्याय के भीतर रेम में एक निर्णय है साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 का अर्थ लेकिन पश्चात्वर्ती वाद पर रोक नहीं।

www.linkinglaws.com

13. Section 162 of the Evidence Act refers to the -
(a) Official documents
(b) Private documents
(c) Official documents only and not to the private documents
(d) Official as well as to the private documents

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 से तात्पर्य है -
(ए) आधिकारिक दस्तावेज ।
(बी) निजी दस्तावेज ।
(सी) केवल आधिकारिक दस्तावेज और निजी दस्तावेजों के लिए नहीं ।
(डी) आधिकारिक और साथ ही निजी दस्तावेजों के लिए ।

14. Section 163 of the Evidence Act is applicable to the –
(a) Criminal trials
(b) Civil actions
(c) Criminal trials as well as to the civil actions
(d) Criminal trials only and not to the civil actions

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 163 लागू होती है -
(ए) आपराधिक परीक्षण।
(बी) दीवानी कार्रवाई।
(सी) आपराधिक परीक्षण के साथ-साथ दीवानी कार्रवाइयां।
(डी) केवल आपराधिक परीक्षण और दीवानी कार्यों के लिए नहीं।

15. Which one of the following below given sections, gives the opposite party a right of inspecting documents used in court for the purpose of refreshing the memory of a witness, where he may look at the writing to see that what kind of writing it is in order to check the use of improper documents-
(a) Section 159 of the Evidence Act
(b) Section 160 of the Evidence Act
(c) Section 161 of the Evidence Act
(d) Section 164 of the Evidence Act

15. नीचे दिए गए अनुभागों में से कौन-सा एक विरोधी पक्ष को का अधिकार देता है, न्यायालय में प्रयुक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने का गवाह की स्मृति ताजा करने के उद्देश्य से,जहां वह यह देखने के लिए लेख को देख सकता है कि यह किस प्रकार का लेख है अनुचित दस्तावेजों के उपयोग की जाँच करें।
(ए) साक्ष्य अधिनियम की धारा 159
(बी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 160
(सी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 161
(डी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 164

16. Select the correct statements:–
i). The very purpose of test identification parade is to test the veracity of witness on the question of identity, therefore if such parade is not held, reliance could be placed on the evidence about the identity of the accused.
ii). Where a witness identifies an accused that is not known to him in the court for the first time, his evidence is absolutely valueless unless there has been a previous test identification parade to test his power of observation.

www.linkinglaws.com

iii). The idea of holding test identification parade under section 9 of the Evidence Act is to test the veracity of the witness on the question of his capability of identity an unknown person whom the witness may have seen only once.

iv). If no test identification parade is held then it will be wholly unsafe to rely on his testimony regarding the identification of an accused for the first time in the court.

v). Delay in test identification parade by itself cannot be a ground to reject identification if otherwise the same is acceptable.

vi). Delay, however, is a circumstance to be given weight since normal course of conduct is that a duty is discharged by the officers immediately if otherwise there is no impediment and where delay is outcome of laches, bondfides to actions of the officers become doubtful.

vii). Where no laches can be inferred, mere delay by itself ought not to be a ground to reject the test identification parade. To draw an inference depends upon the judicial approach of the judge considering the matter.

viii). T.I.P by witnesses is not regarded as substantive piece of evidence; no conviction can be recorded merely on the identification of accused.

ix). T.I.P by witnesses is a substantive piece of evidence and therefore, conviction can be recorded merely on the identification of accused.

x). The evidence of identification in parade on its own and independently, without evidence and identification in court, is of a very weak character rather no evidence and has only corroborating value to the evidence in court.

xi). The evidence of identification in parade on its own and independently, without evidence and identification in court, is of a very weak character rather no evidence and has only contradicting value to the evidence in court.

xii). Where the accused person is not previously known to the witness concerned then identification of the accused by the witness soon after his arrest is of great importance.

xiii). Where the accused person is previously known to the witness concerned then identification of the accused by the witness soon after his arrest is of great importance.

(a) (i), (ii), (iii), (iv), (viii), (xii)

(b) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xii)

(c) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii)

(d) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xiii)

www.linkinglaws.com

16. सही कथनों का चयन करें:-

i). T.I.P का उद्देश्य पहचान के प्रश्न पर गवाह की सत्यता का परीक्षण करना है, इसलिए यदि ऐसी परेड आयोजित नहीं की जाती है, तो अभियुक्त की पहचान के बारे में साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है।

ii). जहां एक गवाह एक ऐसे आरोपी की पहचान करता है जो उसे पहले अदालत में नहीं जानता है समय, उसका सबूत बिल्कुल बेकार है जब तक कि कोई पिछला T.I.P न हो उसकी अवलोकन की शक्ति का परीक्षण करने के लिए।

iii). साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत T.I.P आयोजित करने का विचार, एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान की क्षमता के सवाल पर गवाह की सत्यता का परीक्षण करना है, जिसे गवाह ने केवल एक बार देखा हो।

iv). यदि कोई T.I.P आयोजित नहीं की जाती है तो अदालत में पहली बार किसी आरोपी की पहचान के संबंध में उसकी गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा।

v). T.I.P में देरी अपने आप में पहचान को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती यदि अन्यथा वह स्वीकार्य है।

vi). हालांकि, देरी को महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि आचरण की सामान्य प्रक्रिया यह है कि अधिकारियों द्वारा तुरंत एक कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है यदि अन्यथा कोई बाधा नहीं होती है और जहां देरी का परिणाम होता है, अधिकारियों के कार्यों के लिए बंधन संदिग्ध हो जाते हैं।

vii). जहां कोई खांचे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, केवल देरी से ही परीक्षण पहचान परेड को अस्वीकार करने का आधार नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष निकालना, मामले पर विचार करने वाले न्यायाधीश के न्यायिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

viii). गवाहों द्वारा T.I.P को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जाता है; केवल अभियुक्त की पहचान के आधार पर कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है।

ix). गवाहों द्वारा T.I.P सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है और इसलिए केवल आरोपी की पहचान पर, दर्ज की जा सकती है।

x). परेड में पहचान के सबूत अपने आप और स्वतंत्र रूप से, बिना सबूत के और अदालत में पहचान के, एक बहुत ही कमजोर चरित्र की है बल्कि कोई सबूत नहीं है और केवल अदालत में सबूत की सम्पुष्टि करने के लिए है ।

xi). परेड में पहचान के सबूत अपने आप और स्वतंत्र रूप से, बिना सबूत के और अदालत में पहचान, एक बहुत ही कमजोर चरित्र की है बल्कि कोई सबूत नहीं है और केवल अदालत में सबूत के खण्डन करने के लिए है ।

xii). जहां आरोपी व्यक्ति पहले से गवाह को नहीं जानता है, तो उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद गवाह द्वारा आरोपी की पहचान का बहुत महत्व है।

xiii). जहां आरोपी व्यक्ति गवाह को पहले से जानता हो तो, गिरफ्तारी के तुरंत बाद गवाह द्वारा आरोपी की पहचान का बहुत महत्व है।

(ए) (i), (ii), (iii), (iv), (viii), (xii)

(बी) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xii)

(सी) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii)

(डी) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xiii)

www.linkinglaws.com

17. Select the correct statements-

i). Section 10 of the Evidence Act does apply to incriminating statements made by accused to the police in course of investigation provided

they incriminate themselves or others.

ii). Section 10 of the Evidence Act does not apply to incriminating statements made by accused to the police in course of investigation whether they incriminate themselves or others.

iii). Section 10 of the Evidence Act relates to things said or done by conspirator in reference to common design even if such statement made by the co-accused during course of investigation before the investigating agency is said to be relevant fact then also that alone cannot bind the makers of that statement along with other co-accused on the basis of such statement alone. That relevant fact might be taken into consideration if coupled with other circumstances or evidence available.

iv). Section 10 of the Evidence Act relates to the things said or done by conspirator in reference to common design if such statement made by the co-accused during the course of investigation before the investigating agency is said to be relevant fact and that alone can bind the maker of that statement along with other co-accused on the basis of such statement alone.

v). For the application of section 10 of the Evidence Act, it is not necessary to prove the conspiracy.

vi). For the application of section 10 of the Evidence Act, it is necessary to prove the conspiracy.

(a) (i), (iii), (vi)
(b) (i), (iv), (v)
(c) (ii), (iv), (v)
(d) (ii), (iii), (v)

17. सही कथनों का चयन करें-

i). साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 आरोपी द्वारा जांच के दौरान पुलिस को दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर लागू होती है बशर्ते कि वे खुद को या दूसरों को दोषी ठहराते हों।

ii). साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 किसके द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर लागू नहीं होती है? जांच के दौरान पुलिस पर आरोप लगाया कि क्या वे खुद को या दूसरों को दोषी ठहराते हैं।

iii). साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 साजिशकर्ता द्वारा कही गई या की गई बातों से संबंधित है सामान्य डिजाइन के संदर्भ में भले ही सह-अभियुक्त द्वारा ऐसा बयान दिया गया हो जांच एजेंसी के समक्ष जांच की प्रक्रिया को प्रासंगिक तथ्य कहा जाता है तो यह भी कि अकेले उस बयान के निर्माताओं को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अकेले ऐसे बयान के आधार पर बाध्य नहीं कर सकता है। उस प्रासंगिक तथ्य पर विचार किया जा सकता है अन्य परिस्थितियों या उपलब्ध साक्ष्य के साथ युग्मित होने पर विचार।

iv). साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 का संबंध साजिशकर्ता द्वारा कही गई या की गई बातों से है सामान्य डिजाइन के संदर्भ में यदि जांच एजेंसी के समक्ष जांच के दौरान सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए इस तरह के बयान को प्रासंगिक तथ्य कहा जाता है और अकेले उस बयान के निर्माता को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ ऐसे बयान के आधार पर बाध्य कर सकता है अकेला।

v). साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 को लागू करने के लिए, षड़यंत्र साबित करना आवश्यक नहीं है षड़यंत्र।

vi). साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 को लागू करने के लिए, षड़यंत्र साबित करना आवश्यक है।

(ए) (i), (iii), (vi)
(बी) (i), (iv), (v)
(सी) (ii), (iv), (v)
(डी) (ii), (iii), (v)

18. The 'plea of alibi' is taken by the –

(a) Defence and the same are required to be proved only after prosecution has proved its case against the accused.
(b) Prosecution and the same are required to be proved only after defence has discharged his onus.
(c) Defence and the same are required to be proved before the prosecution has proved its case against the accused beyond reasonable doubts.
(d) Defence and the same are required to be proved either before or after the prosecution has proved its case beyond reasonable doubts, against the accused.

18. 'अलगाव की याचिका' किसके द्वारा ली गई है -

(ए) अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने के बाद ही बचाव और उसी को साबित करना आवश्यक है।
(बी) अभियोजन और उसे तभी साबित करना आवश्यक है जब बचाव पक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन किया हो।
(सी) अभियोजन पक्ष के साबित होने से पहले बचाव और उसे साबित करना आवश्यक है उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ उसका मामला।
(डी) बचाव पक्ष और उसे अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने से पहले या बाद में साबित करना आवश्यक है।

19. 'acta exteriora indicant interiora' means

(a) External action reveals inner secret.
(b) Inner action reveals outer secret
(c) External action reveals outer secret
(d) Inner action reveals inner secret

19. 'एक्टा एक्सटीरियर इंडिकेंट इंटरविओरा' का अर्थ है-

(ए) बाहरी क्रिया आंतरिक रहस्य प्रकट करती है।
(बी) आंतरिक क्रिया बाहरी रहस्य प्रकट करती है
(सी) बाहरी क्रिया बाहरी रहस्य प्रकट करती है
(डी) आंतरिक क्रिया आंतरिक रहस्य प्रकट करती है

20. Admission is a statement, oral, written or inferred from conduct made by or on behalf of a party to a suit, and admissible in evidence, if relevant as against his interest. They may be either formal or informal.

Select the correct statement -

(a) Formal admissions for the purpose of the trial may be made on pleadings and informal admissions may be made before or during the proceedings.
(b) Formal admissions may be made before or during the proceedings and informal admissions may be made before or during the proceedings.

(c) Formal admissions or informal admissions may be made on pleadings only and no admission may be made before or during the proceedings.

(d) Formal admissions or informal admissions may be made before or during the proceedings only and not on pleadings.

20. स्वीकृति एक कथन, मौखिक, लिखित या किसी पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किए गए आचरण से अनुमानित है, और साक्ष्य में स्वीकार्य है, यदि प्रासंगिक हो तो उसके हित के खिलाफ। वे औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं।

सही कथन का चयन करें -

(ए) मुकदमे के उद्देश्य के लिए औपचारिक स्वीकृति याचना पर की जा सकती है और अनौपचारिक स्वीकृति कार्यवाही से पहले या उसके दौरान किया जा सकती है।

(बी) औपचारिक स्वीकृति कार्यवाही से पहले या उसके दौरान किया जा सकती है और अनौपचारिक स्वीकृति कार्यवाही से पहले या उसके दौरान किया जा सकती है।

(सी) औपचारिक स्वीकृति या अनौपचारिक स्वीकृति केवल दलीलों पर किया जा सकती है और नहीं स्वीकृति कार्यवाही से पहले या उसके दौरान किया जा सकती है।

(डी) औपचारिक स्वीकृति या अनौपचारिक स्वीकृति केवल कार्यवाही से पहले या उसके दौरान किए जा सकते हैं न कि अभिवचन पर।

21. Select the correct statements –

i). A mere proof of admission, after the person whose admission it is alleged to be has concluded his evidence, will be of no avail and cannot be utilized against him.

ii). A mere proof of admission, after the person whose admission it is alleged to be has concluded his evidence, can be utilized against him.

iii). An admission made by a person cannot be split up and part of it cannot be used against him.

iv). An admission made by a person can be split up and part of it can be used against him.

v). Admission made in the earlier proceedings can be used in subsequent proceedings without offending an opportunity of explanation to the person who made the statements.

vi). Admission made in the earlier proceeding cannot be used in subsequent proceedings without offending an opportunity of explanation to the person who made the statements.

vii). Admissions are substantive evidence by themselves, in view of Section 17 and 21 of the Evidence Act, though they are not conclusive proof of the matters admitted.

viii). Admissions are substantive evidence by themselves, in view of section 17 and 21 of the Evidence Act and therefore, they are the conclusive proof of the matters admitted.

(a) (i), (iv), (v), (viii)
(b) (i), (iii), (v), (vii)
(c) (i), (iii), (vi), (vii)
(d) (ii), (iii), (v), (vii)

www.linkinglaws.com

21. सही कथनों का चयन करें -

i). जिस व्यक्ति की स्वीकारोक्ति के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपना साक्ष्य समाप्त कर दिया है, उसके बाद केवल स्वीकृति के प्रमाण का कोई फायदा नहीं होगा और उसके खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ii). स्वीकृति का एक मात्र प्रमाण, जिस व्यक्ति के स्वीकृति के बाद यह आरोपित किया जाता है अपने साक्ष्य को समाप्त कर दिया है, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

iii). किसी व्यक्ति द्वारा किए गए स्वीकृति को विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसके कुछ भाग का उपयोग नहीं किया जा सकता है उसके खिलाफ।

iv). किसी व्यक्ति द्वारा किए गए स्वीकृति को विभाजित किया जा सकता है और इसके कुछ हिस्से का उपयोग किया जा सकता है।

v). पहले की कार्यवाही में किए गए स्वीकृति का उपयोग बाद की कार्यवाही में बयान देने वाले व्यक्ति को स्पष्टीकरण के अवसर को ठेस पहुंचाए बिना किया जा सकता है।

vi). पहले की कार्यवाही में किए गए स्वीकृति का उपयोग बाद की कार्यवाही में बयान देने वाले व्यक्ति को स्पष्टीकरण के अवसर को ठेस पहुँचाए बिना नहीं किया जा सकता है।

vii). धारा 17 और 21 के मद्देनजर स्वीकृति अपने आप में पर्याप्त प्रमाण हैं, हालांकि वे स्वीकृत मामलों के निर्णायक सबूत नहीं हैं।

viii). धारा 17 और 21 के मद्देनजर स्वीकृति अपने आप में पर्याप्त प्रमाण हैं, वे स्वीकृत मामलों के निर्णायक सबूत हैं।

(ए) (i), (iv), (v), (viii),
(बी) (i), (iii), (v), (vii)
(सी) (i), (iii), (vi), (vii)
(डी) (ii), (iii), (v), (vii)

22. Under section 30 of the Evidence Act-

i). Confession of a co-accused is a substantive piece of evidence.

ii). Confession of a co-accused can only be taken into consideration but it is not in itself a substantive piece of evidence.

iii). A prosecution proceeding can be initiated on the basis of confession of co-accused against any accused person and in support thereof other such evidence is not necessary.

iv). Any prosecution proceeding cannot be initiated merely on the basis of confession of co-accused against any accused person and in support thereof other such evidence is necessary on the basis of which court can form its opinion.

v). Section 30 of the Evidence Act, does not limit it to confessions made to the Magistrates.

vi). Section 30 of the Evidence Act, limit it to confessions made to the Magistrate.

vii). Section 30 of the Evidence Act is an unusual provision by which something which is not in the nature of evidence may be used against the accused person at the trial.

viii). The confession by a co-accused is not to be treated as evidence against another accused in the sense that conviction of the co-accused may not be supported.

www.linkinglaws.com

ix). The confession by a co-accused is treated as evidence against another accused in sense that conviction of the co-accused may be supported.

x). A confessional statement can be used even against a co-accused but for such admissibility it is imperative, that the person making the confession besides implicating himself, also implicates others who are being jointly tried with him.

(a) (i), (ii), (vi), (vii), (viii), (x)
(b) (ii), (iii), (v), (ix), (x)
(c) (ii), (iv), (vi), (vii), (viii), (x)
(d) (ii), (iv), (v), (vii), (viii), (x)

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत-

i). सह-आरोपी का इकबालिया बयान एक ठोस सबूत है।

ii). सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान पर ही विचार किया जा सकता है, लेकिन अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं है।

iii). किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन कार्यवाही शुरू की जा सकती है और उसके समर्थन में इस तरह के अन्य सबूत आवश्यक नहीं हैं।

iv). किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केवल सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर कोई भी अभियोजन कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है और उसके समर्थन में ऐसे अन्य साक्ष्य आवश्यक हैं जिनके आधार पर अदालत अपनी राय बना सके।

v). साक्ष्य अधिनियम की धारा 30, इसे मजिस्ट्रेट के सामने किए गए इकबालिया बयान तक सीमित नहीं करती है।

vi). साक्ष्य अधिनियम की धारा 30, इसे मजिस्ट्रेट के सामने किए गए इकबालिया बयानों तक सीमित करती है।

vii). साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 एक असामान्य प्रावधान है जिसके द्वारा कुछ सबूत की प्रकृति में नहीं है, फिर भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ विचारण के समय इस्तेमाल किया जा सकता है।

viii). एक सह-अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति को दूसरे के खिलाफ सबूत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए इस अर्थ में आरोप लगाया कि सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

ix). एक सह-आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति को दूसरे आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में माना जाता है इस अर्थ में कि सह-आरोपियों की दोषसिद्धि का समर्थन किया जा सकता है।

x). एक इकबालिया बयान का इस्तेमाल सह-अभियुक्त के खिलाफ भी किया जा सकता है लेकिन इसकी स्वीकार्यता के लिए यह अनिवार्य है, कि स्वीकारोक्ति करने वाला व्यक्ति खुद को फंसाने के अलावा, उन लोगों को भी फंसाता है जिन पर उनके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है।

(ए) (i), (ii), (vi), (vii), (viii), (x)
(बी) (ii), (iii), (वी), (ix), (एक्स)
(सी) (ii), (iv), (vi), (vii), (viii), (x)
(डी) (ii), (iv), (v), (vii), (viii), (x)

23. Under section 105 of the Evidence Act –

i). The onus of proving exceptions mentioned in the Indian Penal Code, 1860 is on the accused, but the section does not at all indicate the nature and standard of proof required.

www.linkinglaws.com

ii). The onus of proving exception mentioned in the Indian Penal Code, 1860 is on the accused and the section also indicates the nature and standard of proof required.

iii). The Evidence Act contemplates that the accused should prove his case with the same strictness and vigour as the prosecution is required to prove in a criminal charge.

iv). It is sufficient if the accused is able to prove his case by the standard of preponderance of probabilities envisaged by section 5 of the Evidence Act as a result of which he succeeds not because he proves his case to the guilt but because probability of the version given by him throws doubt on the prosecution case and, therefore, the prosecution cannot be said to have established the charge beyond reasonable doubts.

v). Where are accused relies upon provocation in diminution of his responsibility, he has to prove that fact.

vi). The accused taking a plea in defence against the charge is not required necessarily to produce evidence in support of his plea. He can establish his plea by reference to circumstances as they emerge from the prosecution evidence itself.

vii). The accused taking a plea in defence against the charge is required necessarily to produce evidence in support of his plea. He cannot establish his plea by reference to circumstances as they do not emerge from the prosecution evidence itself.

viii). From a combined reading of section 105 and 4 of the Evidence Act, it may be inferred that where the existence of circumstances bringing the case within the exception is pleaded or is raised the court conclusively presume the absence of such circumstances as proved.

Select the correct statements:

(a) (i), (iii), (iv), (v), (vi), (viii)

(b) (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii)

(c) (ii), (iii), (iv), (v), (vi)

(d) (i), (iv), (v), (vi)

23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत -

i). भारतीय दंड संहिता, 1860 में उल्लिखित अपवादों को साबित करने का दायित्व आरोपी पर होता है, लेकिन धारा बिल्कुल भी प्रकृति और मानक को इंगित नहीं करती है।

ii). भारतीय दंड संहिता, 1860 में उल्लिखित अपवाद को साबित करने का दायित्व आरोपी पर होता है और धारा आवश्यक सबूत की प्रकृति और मानक को भी इंगित करती है।

iii). साक्ष्य अधिनियम इस बात पर विचार करता है कि आरोपी को अपना मामला साबित करने के लिए, उतनी ही सख्ती और जोश की आवश्यकता होती है जितना आपराधिक आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को आवश्यकता होती है ।

www.linkinglaws.com

iv). यह पर्याप्त है यदि अभियुक्त अपने मामले को मानक के अनुसार साबित करने में सक्षम है साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 द्वारा परिकल्पित संभावनाओं की प्रधानता जिसके परिणामस्वरूप वह सफल नहीं होता है क्योंकि वह अपने मामले को अपराध साबित करता है, बल्कि इसलिए कि उसके द्वारा दिए गए संस्करण की संभावना अभियोजन मामले पर संदेह पैदा करती है और इसलिए, अभियोजन नहीं हो सकता, कहा कि उचित संदेह से परे आरोप स्थापित किया है।

v). जहां आरोपी अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए उकसावे पर निर्भर हैं, उन्हें उस तथ्य को साबित करना होगा।

vi). आरोप के खिलाफ बचाव में याचिका लेने वाले आरोपी की आवश्यकता नहीं है, अपनी दलील के समर्थन में सबूत पेश करना जरूरी है। वह अपनी दलील स्थापित कर सकता है परिस्थितियों के संदर्भ में जैसा कि वे अभियोजन साक्ष्य से उभरे हैं अपने आप।

vii). आरोप के खिलाफ बचाव में याचिका लेने वाले आरोपी के लिए जरूरी है कि अपनी दलील के समर्थन में सबूत पेश करें। वह संदर्भ द्वारा अपनी दलील स्थापित नहीं कर सकता परिस्थितियों के लिए क्योंकि वे अभियोजन साक्ष्य से ही सामने नहीं आते हैं।

viii). साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 और 4 के संयुक्त पठन से, यह अनुमान हो सकता है कि जहां परिस्थितियों का अस्तित्व मामले को अंदर लाता है अपवाद की याचना की जाती है या उठाया जाता है, न्यायालय निर्णायक रूप से की अनुपस्थिति मान लेता है ऐसी परिस्थितियाँ जो सिद्ध होती हैं।

सही कथनों का चयन करें-

(ए) (i), (iii), (iv), (v), (vi), (viii)

(बी) (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii)

(सी) (ii), (iii), (iv), (v), (vi)

(डी) (i), (iv), (v), (vi)

24. The principle underlying under section 106 of the Evidence Act, –

(i) Is an exception to the general rule governing burden of proof, applies only to such matters of defence which are supposed to be especially within the knowledge of the defendant.

(ii) It can also apply when the fact is such as to be capable of being known also by person other than the defendant.

(iii) It cannot apply when the fact is such as to be capable of being known also by person other than the defendant.

(iv) This section casts a burden on an accused person to prove that no crime was committed by proving facts especially within his knowledge and it warrants the conclusion that if anything is unexplained which the court thinks the accused could explain, he ought therefore to be found guilty. It affect the onus of proving the guilt of the accused.

(v) Section 106 of the Evidence Act is not intended to relieve the prosecution of its burden to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, but it would apply only to cases where the prosecution has succeeded in proving facts from which a reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts unless the accused by virtue of his special

www.linkinglaws.com

knowledge regarding such facts, failed to offer any explanation which might drive the court to draw a different inference.

(vi) It is designed to meet certain exceptional cases, in which, it would be impossible for the prosecution to establish certain facts which are particularly within the knowledge of the accused.

(a) (i), (ii), (iv), (vi)
(b) (i), (iii), (iv), (vi)
(c) (i), (iii), (v), (vi)
(d) (i), (iii), (iv), (v), (vi)

24. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में अंतर्निहित सिद्धांत के तहत -

(i) सबूत के बोझ को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम का अपवाद है, केवल बचाव के ऐसे मामलों पर लागू होता है जिन्हें विशेष रूप से प्रतिवादी के ज्ञान में माना जाता है।

(ii) यह तब भी लागू हो सकता है जब तथ्य ऐसा हो कि प्रतिवादी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा भी ज्ञात होने में सक्षम हो।

(iii) यह तब लागू नहीं हो सकता जब तथ्य ऐसा हो कि प्रतिवादी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा भी ज्ञात होने में सक्षम हो।

(iv) यह धारा आरोपी व्यक्ति पर यह साबित करने का बोझ डालती है कि कोई अपराध नहीं था विशेष रूप से अपने ज्ञान के भीतर तथ्यों को साबित करके प्रतिबद्ध है और यह निष्कर्ष की गारंटी देता है कि अगर कुछ भी अस्पष्ट है जो अदालत को लगता है कि आरोपी समझा सकता है, तो उसे दोषी पाया जाना चाहिए। यह आरोपी के अपराध को साबित करने के दायित्व को प्रभावित करता है।

(v) साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य इसके अभियोजन से छुटकारा पाना नहीं है उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए बोझ, लेकिन यह लागू होगा केवल उन मामलों के लिए जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है जब तक कि आरोपी ऐसे तथ्यों के बारे में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है।

(vi) इसे कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें यह असंभव होगा, अभियोजन पक्ष कुछ तथ्यों को स्थापित करने के लिए जो विशेष रूप से ज्ञान के भीतर हैं आरोपी की।

(ए) (i), (ii), (iv), (vi)
(बी) (i), (iii), (iv), (vi)
(सी) (i), (iii), (v), (vi)
(डी) (i), (iii), (iv), (v), (vi)

25. Find out the correct statement –

(a) So much of the information received from a person accused of an offence in custody of a police-officer as relates specifically to the fact thereby discovered is admissible under section 27 of the Evidence Act and can be proved against him, but any statement made to a police-officer which connects the fact discovered with the offence charged is inadmissible.

(b) So much of the information received from a person accused of an offence in custody of a police-officer as relates distinctly to the fact thereby discovered is admissible under section 27 of the Evidence Act and can be proved against him, but any statement made to a police-officer which connects the fact discovered with the offence charged is inadmissible.

(c) So much of the information received from a person accused of an offence in custody of a police-officer as relates distinctly to the fact thereby discovered is admissible under section 27 of the Evidence Act and can be proved against him, but any statement made to a police-officer which connects the fact discovered with the offence charged is admissible.

(d) So much of the information received from person accused of an offence in custody of a police officer as relates similarly to the fact thereby discovered is admissible under section 27 of the Evidence Act and can be proved against him, but any statement made to a police-officer which connects the fact discovered with the offence charged is inadmissible.

25. सही कथन का पता लगाएं -

(ए) पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी, विशेष रूप से उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है और उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस-अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, जो खोजे गए तथ्य को आरोपित अपराध से जोड़ता है, अस्वीकार्य है।

(बी) पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी, स्पष्ट रूप से उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है और उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस-अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, जो खोजे गए तथ्य को आरोपित अपराध से जोड़ता है, अस्वीकार्य है।

(सी) पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी, स्पष्ट रूप से उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है और उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस-अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, जो खोजे गए तथ्य को आरोपित अपराध से जोड़ता है, स्वीकार्य है।

(डी) पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी विशेष रूप से उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है और उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस-अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, जो खोजे गए तथ्य को आरोपित अपराध से जोड़ता है, अस्वीकार्य है।

www.linkinglaws.com